

हरियाणा पुलिस में 5100 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग के अध्यक्ष श्री हिम्मत सिंह ने बताया है कि कांस्टेबल के कुल 5500 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 4500 पद पुरुष कांस्टेबल, 600 पद महिला कांस्टेबल तथा 400 पद हरियाणा रेलवे पुलिस के लिए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 25 जनवरी 2026 तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

---

हरियाणा के नव-नियुक्त पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने ऐपचारिक रूप से अपने पद का कार्यभार संभाल लिया। पंचकूला में इस अवसर पर उनके साथ पूर्ववर्ती डीजीपी ओ.पी. सिंह भी उपस्थित रहे।

कार्यभार ग्रहण करने के बाद डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि प्रदेश में साइबर अपराध पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है। उन्होंने बताया कि नशीले पदार्थों के खिलाफ भी पुलिस लगातार प्रयास कर रही हैं और उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

हरियाणा पुलिस के महानिदेशक अजय सिंघल ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में तकनीक के साथ कदम मिलाकर और अधिक प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, ताकि कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके तथा आम जनता को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके।

1992 बैच के वरिष्ठ आई पी एस अधिकारी अजय सिंघल ने आज पंचकूला पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर पूर्व पुलिस महानिदेशक ओ पी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। कल पूर्व पुलिस महानिदेशक ओ पी शर्मा की सेवामुक्ति के बाद इस पद पर उनकी नियुक्ति की गई थी। आज पदभार ग्रहण करने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यह जिम्मेदारी देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री का अभिवादन किया तथा प्रदेश की जनता को आश्वासन दिया कि वे उनकी हर उम्मीद पर खरा उत्तरने का प्रयास करेंगे। श्री सिंघल ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध पर काफी हृद तक काबू पाया है। आगे भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा कि 1992 से लेकर इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन व अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से अपराध की परिभाषा बदल रही है वैसे ही हरियाणा पुलिस भी तकनीकी तौर पर मजबूत होकर अपराधियों पर शिकंजा कस रही है।

---

कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में मनरेगा सहित कई योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। श्री चौहान ने आरोप लगाया कि वित्तीय धोखाधड़ी के लगभग दस हजार 653 मामले सामने आए हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा के अंतर्गत जिन गतिविधियों की अनुमति नहीं मिली वहां अनियमित व्यय किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों ने शिकायत की है कि उन्हें उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। श्री

सिंह ने दावा किया कि पंजाब की 13 हजार 304 पंचायतों में से केवल 5 हजार 915 पंचायतों का ही ऑडिट किया गया।

---

हरियाणा सरकार द्वारा पुलिस और रेलवे पुलिस में सिपाही के 5500 पदों पर भर्ती की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने बताया कि सिपाही के कुल 5500 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 4500 पद पुरुष सिपाही, 600 पद महिला सिपाही के हैं तथा 400 पद हरियाणा रेलवे पुलिस के लिए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी को शुरू होगी और 25 जनवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

---

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर सिरसा-ऐलनाबाद-हनुमानगढ़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किए जाने की मांग की है। उन्होंने इस मार्ग के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में कुमारी सैलजा ने कहा कि यह मार्ग हरियाणा और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। इससे क्षेत्र की कृषि, व्यापारिक गतिविधियों और औद्योगिक विकास को बड़ा लाभ मिलेगा। सांसद ने कहा है कि यह मार्ग अगर प्रस्तावित बीकानेर-चंडीगढ़ औद्योगिक कॉरिडोर और भारतमाला परियोजना से जुड़ता है, तो उत्तर भारत के औद्योगिक और सीमावर्ती क्षेत्रों को नई गति मिलेगी।

---

पलवल की जिला जेल में आज हालसा द्वारा चलाए जा रहे अभियान 'नशा मुक्त हरियाणा: एक सामुदायिक संकल्प' के तहत जेल अधीक्षक दिनेश यादव की अध्यक्षता में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सभी कैदियों व बंदियों को नशे के दुष्प्रभावों व उससे बचाव के प्रति जागरूक किया गया। इसके अलावा उन्हें नालसा और हालसा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलायी जा रही निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में अवगत कराया गया।